

1

**Factual and Action Taken Report
In the matter of
Original Application No. 467/2022**

In the matter of :
Alok Agarwal

.....Applicant

Versus

Urban Local bodies, Dehradun & Anr

.....Respondent

I. BACK GROUND


1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 467/2022, Alok Agarwal Vs Urban Local Bodies, Dehradun & Anr issued inter alia following directions on 06.07.2022:

“xxx.....xxx.....xxx”
2.....Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun and District Magistrate, Dehradun. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial – ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

xxx.....xxx.....xxx”

2. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 06.07.2022, the joint committee has undertaken inspection of the area in question on 01.09.2022 Following officials of the Joint Committee were part of the inspection :-
 1. SDM (Sadar), Dehradun.
 2. Dr. D.C. Tiwari, Senior Veterinarian Officer, Nagar Nigam, Dehradun.
 3. Dr. R.K. Chaturvedi, Regional officer, UKPCB, Regional Office, Dehradun.
 4. Shri Rakesh Kandari, Asst. Environment Engineer, UKPCB, Regional Office, Dehradun.

PKL


ys

II. OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE

1. फरमान डेयरी, मिलन विहार जी०एम०एस० रोड़, देहरादून।

निरीक्षण के समय डेयरी स्वामी उपस्थित नहीं थे। स्थल पर केवल कर्मचारी उपस्थित मिले, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि डेयरी का संचालन श्री फरमान पुत्र श्री इमरान द्वारा किया जा रहा है, जो कि श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ सक्सेना के किरायेदार हैं। डेयरी में 07-पशु पाये गये। सभी पशुओं के कान पर उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के कर्ण छल्ले लगे पाये गये। डेयरी से निकलने वाले गोबर को भवन स्वामी के प्लॉट पर डाला जा रहा है तथा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी, अपशिष्ट गोबर को पाइप के द्वारा सार्वजनिक नाली में बहाया जा रहा है, जिससे नाली पूर्णतया: अवरुद्ध हो गयी है। उक्त नाली में प्रवाहित होने वाले उत्प्रवाह का निस्तारण लगभग 500 मीटर दूर बिन्दाल नदी में हो रहा है। डेयरी के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

2. श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ डेयरी, मिलन विहार जी०एम०एस० रोड़, देहरादून।

निरीक्षण के समय डेयरी स्वामी उपस्थित नहीं थे। स्थल पर केवल कर्मचारी उपस्थित मिले, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि डेयरी का संचालन श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ द्वारा किया जा रहा है, डेयरी में 13-गाय, 07-भैंसे व 04-बछड़े कुल 24 पशु पाये गये। सभी पशुओं के कान पर उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के कर्ण छल्ले लगे पाये गये। डेयरी से निकलने वाले गोबर को स्वयं के प्लॉट पर डाला जा रहा है तथा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी, अपशिष्ट गोबर को पाइप के द्वारा सार्वजनिक नाली में बहाया जा रहा है, जिससे नाली पूर्णतया: अवरुद्ध हो गयी है। उक्त नाली में प्रवाहित होने वाले उत्प्रवाह का निस्तारण लगभग 600 मीटर दूर बिन्दाल नदी में हो रहा है।

डेयरी के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उपरोक्त दोनों डेयरियों में फरमान डेयरी एवं श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ डेयरी के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Guidelines for Environment Management of Dairy Farm and Gaushala July, 2021 का अनुपालन होता नहीं पाया गया। नगर निगम, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध नियम-2016

PKL

के अन्तर्गत दोनों डेयरियों के विरुद्ध चालानी नोटिस जारी किये गये।
(संलग्नक-1)

3. न्यू राहत वैल्डिंग शॉप, मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।

शिकायती स्थल पर उक्त वैल्डिंग शॉप कॉलोनी के रास्ते पर अवस्थित रूप से संचालित की जा रही है व वैल्डिंग से सम्बन्धित सामग्री सड़क पर फैली हुई पायी गयी। उक्त वैल्डिंग शॉप श्री राकेश सक्सेना द्वारा श्री राहत को किराये पर दी गयी है।

4. दून रिपेयरिंग शॉप, मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।

उक्त शिकायती स्थल पर दोपहिया वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। अवगत कराया गया कि प्रतिदिन 2-3 वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जाता है, जिसकी धुलाई का पानी नाली में छोड़ा जाता है व धुलाई का कार्य दुकान के बाहर किया जाता है। उक्त दोपहिया रिपेयरिंग शॉप भी श्री राकेश सक्सेना के द्वारा श्री शहजाद को किराये पर दी गयी है।

III. Action taken by UKPCB :-

1. Show cause notice and why not environment compensation of Rs. 3750/- per day shall be imposed on the unit (M/s. Rakesh Saxena, S/o Shri Ramnath Dairy, Milan Vihar, GMS Road, Dehradun) for violation of environmental norms till compliance of the direction via Letter No. UKPCB/HO/Con/Gen-183-581/2022/34 dated 07.11.2022. **(Annexure-1).**
2. Show cause notice and why not environmental compensation of Rs. 2250/- per day shall be imposed on the unit (M/s. Doon Repairing Shop, Milan Vihar, GMS Road, Dehradun) for violation of environment norms till compliance of the direction via Letter No. UKPCB/HO/Con/Gen-183-581/2022/33 dated 07.11.2022. **(Annexure-2).**
3. फरमान डेयरी मिलन विहार में 07 पशु पाये गये, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 10, 2020 को दिये गये निर्देशों में "Stand-alone or isolated dairy farm, having 15 animals & above shall obtain CTE/CTO Under orange category के अन्दर Categorization किया

PKL

 Page | 3
CBS

गया है। 15 animals से कम पशु होने पर कोई स्पष्ट Categorization उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त गौशाला के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है।

4. न्यू राहत वैल्डिंग शॉप मिलन विहार एक वैल्डिंग शॉप है जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Categorization of Industrial Sectors के अन्तर्गत White Category as "Engineering and fabrication units (day process without any heat treatment/metal surface finishing operation/painting) के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः उक्त के विरुद्ध भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

The reports are being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

PKI


LIS

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या- 467 / 2022 में परित आदेशों के अनुक्रम में मिलन विहार जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून स्थित डेयरी फार्म के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या- 467 / 2022 में परित आदेशों के अनुक्रम में निम्न विभागों की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
3. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

तत्कम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया, जिसके अनुक्रम में मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून स्थित डेयरी फार्म व अन्य का संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 01.09.2022 को किया गया। शिकायती स्थल पर एक वैल्विंग शॉप एवं दोपहिया रिपेयरिंग शॉप व दो डेयरियां संचालित पायी गयी।

1. उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।
2. डा0 डी0सी0 तिवारी, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम देहरादून।
3. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री राकेश कण्डारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

1. फरमान डेयरी, मिलन विहार जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून

निरीक्षण के समय डेयरी स्वामी उपस्थित नहीं थे। स्थल पर केवल कर्मचारी उपस्थित मिले, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि डेयरी का संचालन श्री फरमान पुत्र श्री इमरान द्वारा किया जा रहा है, जो कि श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ सक्सेना के किरायेदार हैं। डेयरी में 07-पशु पाये गये। सभी पशुओं के कान पर उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के कर्ण छल्ले लगे पाये गये। डेयरी से निकलने वाले गोबर को भवन स्वामी के प्लॉट पर डाला जा रहा है तथा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी, अपशिष्ट गोबर को पाइप के द्वारा सार्वजनिक नाली में बहाया जा रहा है, जिससे नाली पूर्णतया: अवरुद्ध हो गयी है। उक्त नाली में प्रवाहित होने वाले उत्प्रवाह का निस्तारण लगभग 500 मीटर दूर बिन्दाल नदी में हो रहा है। डेयरी के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

2. श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ डेयरी, मिलन विहार जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून

निरीक्षण के समय डेयरी स्वामी उपस्थित नहीं थे। स्थल पर केवल कर्मचारी उपस्थित मिले, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि डेयरी का संचालन श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ द्वारा किया जा रहा है, डेयरी में 13-गाय, 07-भैंसे व 04-बछड़े कुल 24 पशु पाये गये। सभी पशुओं के कान पर उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के कर्ण छल्ले लगे पाये गये। डेयरी से निकलने वाले गोबर को स्वयं के प्लॉट पर डाला जा रहा है तथा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी, अपशिष्ट गोबर को पाइप के द्वारा सार्वजनिक नाली में बहाया जा रहा है, जिससे नाली पूर्णतया: अवरुद्ध हो गयी है। उक्त नाली में प्रवाहित होने वाले उत्प्रवाह का निस्तारण लगभग 600 मीटर दूर बिन्दाल नदी में हो रहा है।

डेयरी के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उपरोक्त दोनों डेयरियों में फरमान डेयरी एवं श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ डेयरी के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Guideline for Environment Management of Dairy Farm and Gaushala July, 2021 का अनुपालन होता नहीं पाया गया। नगर निगम, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध नियम-2016 के अन्तर्गत दोनों डेयरियों के विरुद्ध चालानी नोटिस जारी किये गये। (संलग्नक-1)


3. न्यू राहत वैल्विंग शॉप, मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून

शिकायती स्थल पर उक्त वैल्विंग शॉप कॉलोनी के रास्ते पर अवस्थित रूप से संचालित की जा रही है व वैल्विंग से सम्बन्धित सामग्री सड़क पर फैली हुई पायी गयी। उक्त वैल्विंग शॉप श्री राकेश सक्सेना द्वारा श्री राहत को किराये पर दी गयी है।


4. दून रिपेयरिंग शॉप, मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून

उक्त शिकायती स्थल पर दोपहिया वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। अवगत कराया गया कि प्रतिदिन 2-3 वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जाता है, जिसकी धुलाई का पानी नाली में छोड़ा जाता है व धुलाई का कार्य दुकान


के बाहर किया जाता है। उक्त दोपहिया रिपेयरिंग शॉप भी श्री राकेश सक्सेना के द्वारा श्री शहजाद को किराये पर दी गयी है।




(राकेश कण्डारी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
यूकेपीसीबी, देहरादून



(डा० डी०सी० तिवारी)
वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर
निगम, देहरादून



(डा० आर०के० चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
यूकेपीसीबी, देहरादून



(कुश्म चौहान)
नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून



कार्यालय वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम देहरादून



7

दिनांक 03/09/2022

पत्रांक 124 (U) A

नोटिस

श्री फरमान पुत्र श्री इमरान,
पता-मिलन विहार जी0एम0एस0 रोड,
देहरादून।

रजत इन्कलेव मिलन विहार का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 29.05.2022 में उनके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में शिकायत की गई है कि रजत इन्कलेव, मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून में डेरी द्वारा जनित अनउपचारित जल तथा गोबर का मिश्रण एवं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप द्वारा जनित ऑयल मिक्स अशुद्ध जल प्रवाहित किये जाने के कारण निकट क्षेत्र एवं सड़क में फैलने से अन्य निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-467/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 01.09.2022 को आपकी गौशाला/डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया था कि आपके द्वारा गौशाला/डेयरी में 07 गौवंशीय पशु पाले जा रहे हैं। जिनमें सभी पशुओं में कर्ण छल्ला लगा पाया गया। आपके द्वारा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी मय अवशेष गोबर को पाइप द्वारा सार्वजनिक नाले में बहाया जा रहा था जो कि **उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं धूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016** के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।

अतः आपको उक्त सम्बन्ध में अन्तिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि गोबर को सार्वजनिक नाली में बहाये जाने पर रू0 5000/- का चालान शुल्क नगर निगम, देहरादून के निगम कोष में अतिशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करें तथा डेयरी पशुपालन व्यवसाय करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 15 दिन के अन्दर नियमानुसार Consent to Establish/Consent to Operate (C.T.O/C.T.E) प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

o/c

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आपके स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

o/c

For man



कार्यालय वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम देहरादून



8

पत्रांक 124 (V.A)

दिनांक 03/09/2022

नोटिस

श्री राकेश सक्सेना,
पता-मिलन विहार जी0एम0एस0 रोड,
देहरादून।

रजत इन्कलेव मिलन विहार का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 29.05.2022 में उनके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में शिकायत की गई है कि रजत इन्कलेव, मिलन विहार, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून में डेरी द्वारा जनित अनउपचारित जल तथा गोबर का मिश्रण एवं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप द्वारा जनित ऑयल मिक्स अशुद्ध जल प्रवाहित किये जाने के कारण निकट क्षेत्र एवं सड़क में फैलने से अन्य निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-467/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 01.09.2022 को आपकी गौशाला/डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया था कि आपके द्वारा गौशाला/डेयरी में 13 गाय, 7 भैंसे व 04 बछड़े कुल 24 गौवंशीय पशु पाले जा रहे हैं। जिनमें सभी पशुओं में कर्ण छल्ला लगा पाया गया। आपके द्वारा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी मय अवशेष गोबर को पाइप द्वारा सार्वजनिक नाले में बहाया जा रहा था।

अतः आपको उक्त सम्बन्ध में अन्तिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि गोबर को सार्वजनिक नाली में बहाये जाने पर रू0 5000/- का चालान शुल्क नगर निगम, देहरादून के निगम कोष में अतिशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करें तथा डेयरी पशुपालन व्यवसाय करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 15 दिन के अन्दर नियमानुसार Consent to Establish/Consent to Operate (C.T.O/C.T.E) प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

o/c

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आपके स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।



M/s Doon service Center



M/s Rahat Welding



Saxena Dairy



Farman Dairy

12

2



HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

ANNEXURE-2

10

UKPCB/HO/Con/Gen-183-581/2022/ 34

Date: 07/11.2022

Speed Post

To,

M/s Rakesh Saxena,
S/O-Shri Ramnath Dairy,
Milan Vihar, GMS Road,
Dehradun.

Directions under Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974 and Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act - 1981

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of this Act every water/air polluting industry/unit/operation/processes is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, as per Section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974 and Section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981 as amended, it is the mandatory requirement for any industry plant, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land; to obtain prior Consent from the Board; and

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industries, operations or processes to keep their effluent quality within the specified norms; and

WHEREAS, in compliance of the order passed by Hon'ble NGT on dated 06.07.2022 in O.A. no. 467/2022 Alok Agarwal Vs Urban local bodies, Dehradun & Anr, inspection of the dairy was carried out by the joint committee on dated 01.09.2022 and made following observations :-

निरीक्षण के समय डेयरी स्वामी उपस्थित नहीं थे। स्थल पर केवल कर्मचारी उपस्थित मिले, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि डेयरी का संचालन श्री राकेश सक्सेना पुत्र श्री रामनाथ द्वारा किया जा रहा है, डेयरी में 13-गाय, 07-भैस व 04-बछड़े, कुल-24 पशु पाये गये। सभी पशुओं के कान पर उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के कर्ण छल्ले लगे पाये गये। डेयरी से निकलने वाले गोबर को स्वयं के प्लाट पर डाला जा रहा है तथा डेयरी से निकलने वाला धुलाई का पानी, अपशिष्ट गोबर को पाइप के द्वारा सार्वजनिक नाली में बहाया जा रहा है, जिससे नाली पूर्णतया: अवरुद्ध हो गयी है। उक्त नाली में प्रवाहित होने वाले उत्प्रवाह का निस्तारण लगभग 600 मीटर दूर बिन्दाल नदी में हो रहा है।

डेयरी के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उक्त डेयरी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Guideline for Environment Management of Dairy Farm and Gaushala, July, 2021 का अनुपालन नहीं होता पाया गया। नगर निगम, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध नियम-2016 के अन्तर्गत डेयरी के विरुद्ध चालानी नोटिस जारी किये गये हैं। उक्त डेयरी गैर औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत नारंगी श्रेणी में आती है।

AS SUCH, it is evident from the above observations that the Dairy has violated the provisions of **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** as amended thereafter and is in operation without obtaining consent to operate of the Board.


NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred under **Section 33(A)** of the **Water (Prevention and Control of Pollution), Act-1974** and **Section 31(A)** of the **Air (Prevention and Control of Pollution), Act-1981** as amended with approval of the competent authority of the Board, you are directed :

1. **To Show Cause within 30 days of time from issue of this notice to the undersigned, why your Dairy not be closed down under the provisions of above Act and concerned authorities be directed to discontinue your power and water supply.**
2. **To Show Cause why not Environment Compensation of ₹ 3,750/- per day shall be imposed on your Dairy for violation of Environment norms till compliance of the directions.**


(S.P. Subudhi)
Member Secretary.

Copy to :-

1. **District Magistrate, Dehradun** for kind information please.
2. **Regional Officer (I/c), Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun** for information and necessary compliance.
3. **Guard File.**


Member Secretary





UKPCB/HO/Con/Gen-183-581/2022/ 33

Date: 07.11.2022

Speed Post

To,

M/s Doon Repairing Shop,
Milan Vihar,
GMS Road, Dehradun.

Directions under Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974 and Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act – 1981

WHEREAS, the Central Government has made the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981**; and vide provisions of this Act every water/air polluting industry/unit/operation/processes is required to obtain consent to establish and consent to operate from the **State Pollution Control Board**; and

WHEREAS, as per **Section-25** of the **Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974** and **Section-21** of the **Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981** as amended, it is the mandatory requirement for any industry plant, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land; to obtain prior Consent from the Board; and

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industries, operations or processes to keep their effluent quality within the specified norms; and

WHEREAS, in compliance of the order passed by Hon'ble NGT on dated 06.07.2022 in O.A. no. 467/2022 Alok Agarwal Vs Urban local bodies, Dehradun & Anr, inspection of M/s Doon Repairing Shop, GMS Road, Dehradun was carried out by the joint committee on dated 01.09.2022 and made following observations :-

उक्त शिकायती स्थल पर दोपहिया वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। अवगत कराया गया कि प्रतिदिन 2-3 वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जाता है, जिसकी धुलाई का पानी नाली में छोड़ा जाता है व धुलाई का कार्य दुकान के बाहर किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया गैर औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत हरित श्रेणी में आती है एवं उक्त हेतु बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं है।

AS SUCH, it is evident from the above observations that the Repairing shop has violated the provisions of **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** as amended thereafter and is in operation without obtaining consent to operate of the Board.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred under Section 33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act-1974 and Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution), Act-1981 as amended with approval of the competent authority of the Board, you are directed :

1. To Show Cause within 30 days of time from issue of this notice to the undersigned, why your Repairing Shop not be closed down under the provisions of above Act and concerned authorities be directed to discontinue your power and water supply.
2. To Show Cause why not Environment Compensation of ₹ 2,250/- per day shall be imposed on your Repairing shop for violation of Environment norms till compliance of the directions.


(S.P. Subudhi)
Member Secretary.

Copy to :-

1. District Magistrate, Dehradun for kind information please.
2. Regional Officer (I/c), Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for information and necessary compliance.
3. Guard File.


Member Secretary

